...यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

...ठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
...जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 125/2019
...CMS NO. : 2019/00189

–:: प्रार्थीगण ::–

1. टिमकी पत्नी स्व. राजूराम
2. रेणुका पुत्री स्व. राजूराम
जाति– कुमावत, साकिन–
खेड़ामहाराजपुरा, बेरा बावड़ी, हाल
बांजाकुड़ी, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली, राज०।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. सादुलराम पुत्र पुनाराम,
जाति– कुमावत, साकिन–
खेड़ामहाराजपुरा, बेरा बावड़ी, हाल
बांजाकुड़ी, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली, राज०।
2. तहसीलदार जैतारण, तहसील–
जैतारण, जिला– पाली।
3. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण, जिला
पाली, राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 22/08/2019**

उपस्थित:. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री राजूनाथ चौलावत, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक: 30/03/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा खेड़ामहाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली में खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 79, 80, 81, 87, 88 कुल खसरा 05 कुल रकबा 36–17 बीघा एवं खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 199 रकबा 59–19 बीघा किस्म चाही प्रथम सायलान की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है तथा सायलान मौके पर अपने अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की कृषि भूमि में सायलान के ससुर/दादा सादुलराम पुत्र पुनाराम के नाम खातेदारी पुश्तैनी कृषि भूमि में नाम दर्ज है। वंश वृक्षावली के अनुसार सादुलराम के ऊपर नामजद 6 वारिसान है जिसमें ओमाराम गोद रतनाराम के चला गया तब पीछे कुल 5 वारिसान रहे, जिसमें स्व. राजूराम सायलान के पति/पिता है। जिनका देहान्त हो चुका है तथा राजूराम के हिस्से की कृषि भूमि पर उसके वारिसान सायलान काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खसरा नम्बरा की भूमि के राजस्व रेकर्ड ...री में गैरसायलान का नाम दर्ज होने के कारण वे सायलान का हिस्सा ... आदि करने को तथा बैक इत्यादि संस्थान से ऋण आदि लेने की आमादा है। उपरोक्त कृषि भूमि में सायलान सादुलराम की पुत्रवधु व पौत्री होने से इस पैतृक भूमि में उनका भी बतौर स्व. राजूराम के वारिसान के हक हिस्सा व अधिकार बनता है तथा सादुलराम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पौत्री का तो पैतृक भूमि में बाइ बर्थ अधिकार पैदा हो जाता है। इसलिए सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 05.08.2019 को गैरसायलान उपरोक्त कृषि भूमि पर मौके पर आये व सायलान को एलानिया धमकी दी कि सायलान का पति/पिता का देहान्त हो गया है, इसलिए वह मौके से अपना कब्जा छोड़कर चले जावे तथा गैरसायलान उक्त सायलान के हिस्से सहित कृषि भूमि किसी अजनबी क्रेता को बेचान करके रहेंगे। सायलान ने गैरसायलान को मना किया, परन्तु वह नही माने तथा जान से मरने मारने को उतारू हो गये।यदि सायलान के हिस्से की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि को गैरसायलान राजस्व रेकर्ड में अपने नाम का फायदा उठाकर बेचान या हस्तान्तरण किसी अजनबी क्रेता को कर दे या उस पर बैंक आदि संस्थान से ऋण आदि ले लिया तो सायलान अपनी पुश्तैनी अचल सम्पति से महरूम हो जायेगे। जिससे सायलान को असीम हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयो में नही आंकी जा सकेगी तथा न्यायालय में वाद बाहुलियता भी बढ़ेगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान के श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत है। उपरोक्त कृषि भूमि सायलान की पुश्तैनी एवं कब्जा काश्त की होने के कारण एवं सायलान के ससुर/दादा सादुलराम पुत्र पुनारामजी का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नाम दर्ज होने से उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि है तथा सादुलराम के हक व हिस्से की कृषि भूमि में से सायलान का 1/6 हिस्सा आता है तथा कानूनन भी सायला संख्या 2 सादुलराम की पौत्री होने के कारण उसका बाइ बर्थ दादाजी की कृषि भूमि में अधिकार पैदा हो जाता है। इस कारण प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में बखुबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या कए में वर्णित कृषि भूमि का बेचान, हस्तान्तरण आदि तथा बैक इत्यादि संस्थान से ऋण इत्यादि गैरसायलान को लेने से वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे तथा वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाया जावे।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान् को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान् द्वारा वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। गैरसायलान् संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। गैरसायलान संख्या 01 से 07 ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथा सरहद मौजा खेड़ा महाराजपुरा पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली में खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 79, 80, 81, 87, 88 कुल ख[illegible]5 कुल रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा एवं खाता संख्या 02 खसरा [illegible] बीघा 19 बिस्वा सायलान की पुश्तैनी कब्जा काश्त की कृषि [illegible] नही रही है बल्कि उक्त कृषि भूमि गैरसायल सादूलराम की स्व. अर्जित [illegible] कृषि जमीन है तथा मौके पर गैरसायल अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर काश्त मुतालिक तमाम कार्य शांतिपूर्वक कर रहा है उक्त कृषि जमीन पर सायलान का कभी भी कोई कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

काश्त नह रहा है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य बिल्कुल ही 2 लिखा है कि "मौके पर सायलान अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते है" उक्त कृषि जमीन पर आज दिन तक कोई बंटवाड़ा नही हुआ है मात्र सायलान उक्त कृषि जमीन को हड़प करने की बदयान्ति के चलते यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इस पद में वर्णित वंश वृक्षावली सही होने से स्वीकार है। लेकिन सायलान स्वयं व उनके पति/पिता राजूराम ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कोई कब्जा काश्त नही किया न उनका कब्जा काश्त है तथा सायलान ने भी अपने पति/पिता के जीवनकाल व देहान्त होने के पश्चात कभी भी कब्जा काश्त नही किया है सायलान ने मात्र गैरसायल को तंग परेशान करने व कृषि जमीन हड़प करने की बदयान्ति के चलते यह गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तमाम तथ्य गलत बेबुनियाद व मनगढ़त व कृषि जमीन हड़पने की बदयान्ति के चलते लिखे है सायलान के पति/पिता राजूराम ने अपने जीवनकाल में विवाह के पूर्व उपरोक्त कृषि जमीन पर गैरसायल को बहला फुसलाकर छ लाख रूपये का ऋण पंजाब नेशनल बैंक शाखा जैतारण से स्वीकृत करवाकर ऋण लिया है तथा उपरोक्त कृषि जमीन भी बैंक में रहन रखी हुई है। उक्त ऋण कि किश्ते भी गैरसायल बैंक में जमा करवा रहा है सायलान के पति/पिता राजूराम ने पुर्नविवाह (नाता) के समय गैरसायल सादूलराम से 1,20,000/- रूपये अक्षरे एक लाख बीस हजार रूपये रोकड़ लिये थे जो रूपये सायला टिमकी देवी के पिता को विवाह के समय गैरसायल ने दिये थे तथा एक एफडी रूपये 1,25,000/- की एसबीआई बैक से गैरसायल ने सायला टीमकी देवी के नाम करवायी थी तथा नौ तोला सोने चांदी के जेवरात विवाह के समय गैरसायल ने चढाये थे एवं 20,000/- रूपये रोकड़ अदा किये तथा विवाह के पश्चात सायला टिमकी देवी गैरसायल व उसके परिवार वालो से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी तथा सायला टिमकी देवी का व्यवहार गैरसायल के साथ कुरतापूर्ण रहा था तथा सायलान व उनके पति/पिता राजूराम विवाह के पश्चात अलग मकान लेकर रहने लगे तथा गैरसायल से वार्तालाप नही करते न ही सायलान गैरसायल से मिलते। सायलान के पति/पिता राजूराम के देहान्त के पश्चात सायला टिमकी अपने पीहर अपने पुत्री व सोने चांदी के जेवरात व एफडी लेकर चली गयी। सायलान के पति/पिता के दाहसंस्कार व सामाजिक कियाकर्म व बारहवां की सामाजिक बैठक में भी सायलान उपस्थित नही रही तथा आज दिन भी अपने पीहर रह रही है सायलान ने गैरसायल को किस तरह से तंग परेशान किया जावें व गैरसायल की कृषि जमीन को हड़प करने नियत से यह गलत तथ्यो पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य मनगढ़त व कपोल कल्पित व कृषि जमीन हड़पने की बदयान्ति के चलते लिखे गये है। दिनांक 05.08.2019 को गैरसायल ने सायलान को किसी भी प्रकार की कोई ऐलानिया धमकी नही दी। जबकि सायलान का मौके पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा है ही नही तो धमकी देने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। जब कोई कब्जा सायलान का है ही नही तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सायलान का उपरोक्त कृषि जमीन व मौके से अपना कब्जा छोड़कर चले जाने बाबत गैरसायल सायलान को उक्त तथ्य कहेगा। सायलान का उपरोक्त कृषि जमीन मे किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नही है न ही कोई हिस्सा व अधिकार है उपरोक्त कृषि जमीन रहन रखी जाने से गैरसायल को उक्त जमीन को कभी भी बैचान नही कर सकता। गैरसायल ने उपरोक्त कृषि जमीन सायलान को किसी अजनबी केता को बैचान करने के लिये कभी भी नही कहा सायलान द्वारा गलत तथ्यो पर आधारित यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत लिखे गये है उपरोक्त कृषि जमीन पर सायलान के पति/पिता ने गैरसायल को बहला फुसलाकर पंजाब नेशनल बैंक से ऋण लिया था। जिसकी किस्ते भी आज दिन तक गैरसायल बैंक में जमा करवा रहे है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद है। समस्त तथ्यो व परिस्थितियो एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान की बजाय जवाब देहन्दा के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दा को होगी। सायलान ने इस प्रार्थना पत्र में झूठे तथ्यो का समावेश करते हुये यह निराधार प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज फरमावें। उक्त तथ्यो के अलावा इस पद में वर्णित अन्य तमाम तथ्य असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें, अन्य कोई सहायता जो गैरसायल के पक्ष में हो दिलवायी जावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होनें से जन्म से हक अधिकार निहित होनें के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जो जैरकार है। प्रार्थीया टिमकी एवं रेणुका स्वर्गीय राजूराम की क्रमशः पत्नी एवं पुत्री है तथा स्वर्गीय राजूराम अप्रार्थी सं. 01 सादूलराम का पुत्र है। मूल वाद के अनुतोष पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से अधिकार निहित होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।

(02) सुविधा का संतुलन :- प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुका है, अतः पैतृक आराजी के सम्बन्ध में प्रत्येक वारिसान के पक्ष में जन्म से उसके हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित माना जाता है। अतः बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3) ***अपूर्णनीय क्षति*** :– प्रथम दृष्ट्यां मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में स्थापित हो चुके है, वादग्रस्त आराजी के भू. अभिलेख में वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 का नाम अभिलिखित है तथा प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी में जन्म से निहित अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा प्रस्तुत किया है। अतः वाद के निस्तारण तक यदि अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के रहन बैचान हस्तारण को निषिद्ध करनें हेतु प्रार्थीगण के पक्ष में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता होनें की पूर्ण संभावना है तथा इससे अपूर्णीय क्षति निश्चित प्रार्थीगण को ही होगी। अतः बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर अंततः हमारा यह स्पष्ट एवं विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में उनके हक–हिस्से तक साबित होता है, अतः हम हस्तगत प्रकरण में ताफैसला वाद अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें व सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा खेड़ामहाराजपुरा पटवार हल्का फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली में खाता संख्या 37 खसरा नम्बर 79, 80, 81, 87, 88 कुल खसरा 05 कुल रकबा 36–17 बीघा एवं खाता संख्या 2 खसरा नम्बर 199 रकबा 59–19 बीघा के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/03/202[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 11:38:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)